

 <p>कर्मचारी राज्य बीमा निगम (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार) EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION (Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)</p>	 <p>सत्यमेव जयते वेबसाइट : www.esic.nic.in / www.esic.in</p>	<p>क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार Regional Office, Bihar पंचदीप भवन, नेहरू मार्ग, पटना – 800001 PANCHDEEP BHAWAN, NEHRU MARG, PATNA – 800001 फोन: 0612-2533404 इ. मेल: rd-bihar@esic.nic.in</p>
---	---	--

सं. 42-A-22/13/1/2018-Med.Admin

दिनांक:15-05-2025

कार्यालय आदेश सं. 25 वर्ष 2025 (चि. प्रशा.)

सक्षम प्राधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, बिहार ने निम्नलिखित चिकित्सा पदाधिकारी को अपने वर्तमान पदस्थापना के कार्यभार के अतिरिक्त उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय का कार्यभार तत्काल प्रभाव से नियमित पदाधिकारी की पदस्थापना होने तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, का आदेश दिया है:

The Competent Authority, Regional Office, Bihar has ordered that following Medical Officer shall look after the work at the office mentioned against their name, in addition to assignments at their present place of posting, with immediate effect till the posting of regular incumbent or further orders, whichever is earlier:

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कर्मचारी सं.	वर्तमान तैनाती	अतिरिक्त प्रभार
1	डॉ. राजीव रंजन , CMO	112153	DCBO – समस्तीपुर	DCBO- बेगूसराय सप्ताह में तीन दिन (सोम, मंगल एवं बुध)
2	डॉ. अर्चना कुमारी, CMO	121294	DCBO – हाजीपुर	DCBO- मुजफ्फरपुर सप्ताह में दो दिन (सोम एवं मंगल)

उपर्युक्त चिकित्सा अधिकारी जहां भी स्वीकार्य हों, नियमानुसार टीए/डीए के हकदार होंगे। वे अतिरिक्त कार्यभार के लिए किसी भी अतिरिक्त पारिश्रमिक के हकदार नहीं होंगे।

Aforesaid Medical Officers are entitled for TA/ DA as per rules wherever admissible. They shall not be entitled for any extra remuneration for the additional assignment.

संबंधित अधिकारी कार्यग्रहण प्रतिवेदन (उचित माध्यम से) चिकित्सा प्रशासन शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना को प्रेषित करें।

The concerned officer should send the joining report (Through Proper channel) to the Medical Administration Branch, Regional Office, Patna.

सहायक निदेशक (चि.प्रशा.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ -

1. संबंधित चिकित्सा अधिकारी।
2. चिकित्सा आयुक्त (पूर्वी क्षेत्र), क.रा.बी.निगम, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. निजी सहायक, क्षेत्रीय निदेशक, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।

4. राज्य चिकित्सा अधिकारी, क.रा.बी.नि. क्षेत्रीय कार्यालय, पटना ।
5. डीन/चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. मेडिकल कॉलेज सह अस्पताल, बिहटा ।
6. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि. आदर्श अस्पताल, फुलवारीशरीफ, पटना ।
7. सभी औषधालय-सह-शाखा-कार्यालय, बिहार क्षेत्र।
8. सभी शाखा अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना।
9. शाखा अधिकारी, ई.डी.पी./आई.टी. सेल को बिहार क्षेत्र की वेबसाइट पर अपलोड हेतु ।
10. व्यक्तिगत संचिका/ गार्ड फाइल/ नोटिस बोर्ड।